



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : ५६/MP/८-५/२०१९

दिनांक : ०८/२/२०१९
मानचित्र संख्या : MAP20181214125454957

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मैसर्स सैवफैब डिवलपर्स प्राइलो (कन्सो),
द्वारा डायरेक्टर श्री विनीत गोयल
सी-३९/१वी, मेरठ रोड़ इण्डस्ट्रियल एरिया
साईट-३, गाजियाबाद।

विषय:- मानचित्र संख्या- MAP20181214125454957 दिनांक 14.12.18 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप द्वारा एन.एच.-२४ पर स्थित ग्राम महरोली के खसरा सं०-९०७, ९०८, ९२४, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८ व ९३९ पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग/भूखण्डीय विकास मानचित्र संख्या- MAP20181214125454957 पर उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 12.10.18 को निम्नलिखित शर्तों के साथ रवीकृति प्रदान की गयी है:-

१. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से पांच वर्ष तक वैध है।
२. मानचित्रों की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी०डी०ए०) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। भूमि सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
३. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
४. विजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर एवं भवन उपविधि के नियमों के अनुसार निर्माण कार्य किया जायेगा।
५. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
६. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों, विशिष्टियों, नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
७. यह मानचित्र उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-१९७३ की धारा-१५ के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
८. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रैम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
९. सुपरविजन एवं स्पेशिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
१०. प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 22.02.2018 एवं अन्य शपथ पत्र का पालन करना होगा।
११. भवन की कुल निर्माण लागत की १ प्रतिशत धनराशि की अवशेष ८० प्रतिशत धनराशि लेवर सैस की मद में यू.पी.बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स. वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के खाता में सीधे जमा करानी होगी।
१२. रुप. टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु जमानत राशि रु० 2,00,000/- की एफ.डी.आर. संख्या-14112239517 दिनांक 20.11.15 जमा करायी गयी है, जो कि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

✓✓

13. विंग कमांडर, यायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली के अनापत्ति प्रमाण पत्र रांग्या- AIR HQ/S 17726/4/ATS (Ty BM-MMXXXV) दिनांक 06.06.13 की रामरत शर्तों का पालन करना होगा।
14. सड़क विस्तार से प्रभावित भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमत्य न होगा तथा बाउन्डीवाल रोड वाइडनिंग के उपरान्त बनानी होगी।
15. परिसर में प्रवेश द्वार के निकट Bio-Degradable and Non Bio-Degradable dustbin रखापित करने के साथ-साथ एस.टी.पी. का निर्माण पूर्ण कराना होगा।
16. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं पक्ष का होगा तथा पक्ष द्वारा भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
17. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्डस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटी को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, वाह्य विकास/आन्तरिक विकास का पूर्णता: प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
18. ड्राईव-वे की डिजाइन व एकिजक्यूशन अग्निशमन विभाग के वाहनों के भार वहन क्षमता एवं आवागमन के दृष्टिगत कराया जाना अनिवार्य होगा।
19. प्रश्नगत सम्पूर्ण क्षेत्र द्वारा वाह्य विकास शुल्क के मद में 75 प्रतिशत धनराशि प्राप्त की दशा में ही इस क्षेत्र में वाह्य विकास कराने सम्भव होंगे तथा आन्तरिक विकास कार्य पक्ष को स्वयं कराने होंगे।
20. वाह्य विकास शुल्क की मद में अवशेष धनराशि का भुगतान नियमानुसार करना होगा:-

क्र० सं०	मूलधन (रु० मे०)	12% ब्याज (रु० मे०)	किश्त राशि (रु० मे०)	देय तिथि
1.	73,34,333.00	13,20,180.00	86,54,513.00	03.07.19
2.	73,34,333.00	8,80,120.00	82,14,453.00	03.01.20
3.	73,34,333.00	4,40,060.00	77,74,393.00	03.07.20

उपरोक्त किश्तों के भुगतान में विलम्ब होने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज 3 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। वाह्य विकास शुल्क की अवशेष राशि के भुगतान हेतु प्रस्तुत पंजीकृत सिक्योरटी बॉण्ड दिनांक 05.02.19 को अवशेष राशि जमा कराने की दशा में समानुपातिक रूप से अवमुक्त किया जायेगा।

21. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र- एफ०३०३२२ /सी-१/एन.ओ.सी./जी-८३०/२०१३ दिनांक 13.09.13 तथा शपथ पत्र दिनांक 07.11.15 का अनुपालन करना होगा।
22. तहसीलदार, गाजियाबाद द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र- 2442/आर०सी०/अनापत्ति/२०१८ दिनांक 18.12.18 का अनुपालन करना होगा।
23. विकासकर्ता को सर्विस प्लान प्रस्तुत करना होगा जिसमें इन्फास्ट्रक्चर सुविधाएं जैसे-सड़क, रीयर, सीवर डिस्पोजल, ड्रेन, ड्रेन डिस्पोजल, पीने के पानी की व्यवस्था एवं सोलिड वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था दर्शानी होगी।
24. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मी० से अधिक होने के कारण सोलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का अधिष्ठापन परिसर के अन्तर्गत ही विकासकर्ता को सुनिश्चित करना होगा।
25. आन्तरिक विकास कार्य पक्ष को स्वयं करने होंगे, तथा सीवर डिस्पोजल की व्यवस्था हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्वयं निर्मित करना होगा।
26. भू-गर्भ जल उपयोग किये जाने पर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति स्वयं प्राप्त करना होगा, सम्बन्धित विभाग से विवाद या आपत्ति होने की स्थिति में पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा तथा दी गयी स्थीकृत स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
27. विद्युत व्यवस्था हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन से स्वयं कनैक्शन प्राप्त करना होगा।
28. नियमानुसार दर्शित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करनी होगी, सड़क पर पार्किंग अनुमत्य नहीं होगी। पार्किंग का 10 प्रतिशत आगन्तुक के लिए पार्किंग आरक्षित करना होगा।

29. अन्दर के खुले रथल/पार्क का उपयोग उसी रूप में करना होगा, अन्य उपयोग की दशा में दी गई स्वीकृति स्वतः निररत सामग्री जायेगी।
30. मानवित स्वीकृति, भू-रवागित्व को प्रभावित नहीं करेगी। भू-रवागित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी गृणि पाए जाने की स्थिति में पक्ष रवंय जिम्मेदार होगा तथा दी गयी स्वीकृत स्वतः निररत मानी जायेगी।
31. परिणाम में कोई वक्ता हुआ विकास शुल्क या अन्य किसी शुल्क की माँग की जाती है तो उसे पक्ष व्हो जाप करना होगा।
32. विभिन्न गदों में प्राधिकरण में जाप की जाने वाली धनराशि को जाप किये जाने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा, अस्था प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही को मानना होगा।
33. अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं ज०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकरण कराते हुए समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
34. एक्सटेंडेड वैरागेन्ट/ड्राईव-वे की डिजाइन व एविजक्यूशन अग्निशमन विभाग के वाट्टनों के आवागमन के दृष्टिगत कराया जाना अनिवार्य होगा।
35. प्रस्तुत सर्विस ग्लान में दर्शित प्राविधानों का निर्माण एवं विकास पी.डब्लू.डी के मानकों के अनुसार करना होगा एवं इनकी कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में प्राधिकरण अभियन्त्रण विभाग की अनापत्ति आवश्यक होगी।
36. एल०ए०र०ी०/नगर पंचायत आसनों की भूमि पर मानचित्र की स्वीकृति नहीं प्रदान की जा रही है। यदि भविष्य में भू-रवागित्व सम्बन्धी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो मानचित्र स्वतः निररत माना जायेगा, जिसका समर्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक का होगा।
37. पूर्व स्वीकृत के क्रम में यदि रथल पर निर्माण कार्य के दौरान विचलन है तो उसे नियमानुसार नियमित करना होगा।
38. प्रश्नगत रथल के प्रस्तावित निर्माण पर अपार्टमेंट एक्ट के प्राविधानों के सम्बन्ध में प्राधिकरण के उत्तरदायी नहीं होने एवं विकासकर्ता के स्वयं ही जिम्मेदार होने सम्बन्धी शपथ पत्र दिनांक 07.11.15 का पालन करना होगा।
39. निर्माण करने की अनुमति विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्तियों के आधार पर प्रदान की गयी है। यदि प्राप्त अनापत्तियों पर कोई विवाद उत्पन्न होता है अथवा कोई विपरीत तथ्य पाये जाते हैं, तो मानचित्र स्वतः निररत माना जायेगा।
40. भवन की रट्क्यरल सेफ्टी एवं भूकम्प रोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन व ड्रॉइंग श्री वी०डी० शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसे डा० आर०ए० दुबे, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, आई.आई.टी. रुड़की द्वारा वेट कराकर प्रस्तुत किया गया है। तदानुसार रथल पर भूकम्परोधी निर्माण रट्क्यरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या देखरेख में कराना होगा। एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.व) दिनांक 03.02.01, 772/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.व) 2001 (आ.व.) दिनांक 13.02.01 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-1-भूकम्परोधी /2001 (आ.व) दिनांक 20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिवन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिवन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-
- (क) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अनुबंधित किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु रट्क्यरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सुनिश्चित करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
- (ख) भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, रटील/स्टोन प्रिट, ईटें, कोर्स सैन्ड एवं मार्टर तथा कुंकरीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित रैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से

कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यरथल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जाव भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।

(ग) यदि रवीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रुकावाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत घानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता: प्रगाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक किमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे य तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(घ) कार्यरथल वर प्रमुख स्थान पर 4 फुट ग 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं रवानियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उस स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :-

1. नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति
 2. अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।
 3. अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
 4. अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सैक्षण एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
 5. भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एन्ड पी. का विवरण।
 6. साईट इंजीनियर इन्सैपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।
 7. सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।
41. भवन निर्माण के समय सुरक्षा मानको का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के सम्बन्ध में निर्माणकर्ता/भू-स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे। उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 42. अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या- 98/जे०डी०/लखनऊ-13(गाजी०) / 524 दिनांक 07.10.15 की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन करना होगा।
 43. निर्माण अवधि में स्थल पर कार्यरत श्रमिकों हेतु शौचालय आदि जनसुविधाओं का पर्यावरण के अनुकूल प्राविधान करना होगा।
 44. संदर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं प्रदर्शित ग्रीन ईथावत रखना होगा एवं उसका रख-रखाव भी करना होगा।
 45. मैकेनिकल पार्किंग को स्थायी/अस्थायी किसी भी रूप में आच्छादित नहीं किया जायेगा। मैकेनिकल पार्किंग की स्थापना एवं उसका क्रियान्वयन उस हेतु निर्धारित माप दण्डों के अनुसार किया जाएगा एवं उसके संचालन में किसी भी व्यवहारिक एवं तकनीकी कठिनाई हेतु विकासकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।
 46. समस्त अवस्थापना सुविधाओं के अभिकल्पन व विकास का दायित्व विकासकर्ता का स्वयं का होगा। अवस्थापना सुविधाओं का विकास/ निर्माण कार्य पी.डब्लू.डी. यू.पी.पी.एल, भवन उपविधि-2008, एन.वी.सी. एवं शासनादेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्थल पर कराया जायेगा। विकास/निर्माण कार्यों की एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी विकासकर्ता की स्वयं की होगी।
 47. पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र संख्या: 1793/Parya/SEAC/1682/2013/TA(J) दिनांक 12.10.13 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
 48. बैसमेट में मैकेनिकल वैन्टीलेशन का प्राविधान करना होगा।

49. निर्माण अवधि में स्थल पर कागजत श्रमिकों द्वारा शीघ्रताय आदि जनरुकियों का उपयोग के अनुकूल प्राविधिक करना होगा।
50. अविभाग एवं उर्जा मंत्रीकार श्रमिकों का श्रम नियम में नियमानुसार पंजीयन करया जाना आवश्यक होगा।
51. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर घूल से याने द्वारा सामुद्रित करक का प्राविधिक किया जायें, निर्माण सामग्री के परिवाहन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामुद्रियों पर फर्नी का छिढ़काव किया जायें एवं इसके सारपेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जायें। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जायें कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने द्वारा उपर्युक्त याऊंचों का प्रयोग किया जायें।
52. यात्रा स्थल पर घूल से याने द्वारा पारित निम्न निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन करना होगा—
 - i. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
 - ii. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
 - iii. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
 - iv. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
 - v. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
 - vi. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
 - vii. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.
 - viii. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
 - ix. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creation of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
 - x. Wind breaking walls around constructing site.
 - xi. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.
 - xii. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
 - xiii. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
 - xiv. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
 - xv. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
 - xvi. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
 - xvii. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.

- xviii. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
- xix. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
- xx. Overloading is another big challenge and shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
- xxi. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean NOx catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).
- xxii. Green belt creation will also act as a mitigating factor.
उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

~~मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद क्रिकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।~~

दिनांक:

मुख्य नगर नियोजक

पत्रांक: /एम०पी०/ MAP20181214125454957 /2019
प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन-4 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।